

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 41 /95/2010/चयन

रायपुर, दिनांक 30-1-2017

// प्रेस विज्ञप्ति //

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/2009/परीक्षा/दिनांक 15.05.2009 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20/05/2009 के द्वारा सहायक प्राध्यापक भूगोल (उच्च शिक्षा विभाग) के कुल 14 पद विज्ञापित किये गये थे।

उक्त विषय की लिखित परीक्षा दिनांक 29.11.2009 को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की गई थी, तत्पश्चात् मॉडल उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया, जिसका निराकरण विषय विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से किया गया। संशोधित मॉडल उत्तर के आधार पर लिखित परीक्षा परिणाम दिनांक 06.09.2010 को जारी किया गया। साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित 42 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 27.10.2010 एवं 28.10.2010 को संपन्न हुआ। दिनांक 09.10.2012 को चयन सूची जारी की गई। चयन सूची जारी करने के पूर्व मान. उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं पर मान. उच्च न्यायालय द्वारा छ.ग. लोक सेवा आयोग को 06 पद (अनारक्षित-04, अ.जा-02) रिक्त रखने का निर्देश प्राप्त हुआ। फलस्वरूप 14 में से 06 पद रिक्त रखते हुए 08 पदों पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंको के महायोग के आधार पर वर्गवार चयन सूची दिनांक 09.10.2012 को जारी की गई थी।

वर्तमान में लंबित 06 पदों में से 03 पदों हेतु मान. उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है, अतः 03 (अनारक्षित 01 एवं अजा 02) पद रिक्त रखते हुए संशोधित चयन सूची जारी की जा सकती है। जिसमें पूर्व में 08 एवं नवीन निर्णित-03 पद, कुल-11 पदों हेतु संशोधित चयन सूची जारी की जा रही है।

उपरोक्त पदों से संबंधित संशोधित चयन सूची आयोग के वेबसाइट में www.psc.cg.gov.in पर जारी (अपलोड) कर दी गई है।



परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 40/95/2010/चयन

रायपुर दिनांक 30/01/2017

संशोधित चयन सूची

- 1/ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/2009/परीक्षा/दिनांक 15.05.2009 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20/05/2009 के द्वारा सहायक प्राध्यापक भूगोल (उच्च शिक्षा विभाग) के कुल 14 पद विज्ञापित किये गये थे।
- 2/ उक्त विषय की लिखित परीक्षा दिनांक 29.11.2009 को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की गई थी, तत्पश्चात् मॉडल उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया, जिसका निराकरण विषय विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से किया गया। संशोधित मॉडल उत्तर के आधार पर लिखित परीक्षा परिणाम दिनांक 06.09.2010 को जारी किया गया। साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित 42 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 27.10.2010 एवं 28.10.2010 को संपन्न हुआ। दिनांक 09.10.2012 को चयन सूची जारी की गई। चयन सूची जारी करने के पूर्व मान. उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं पर मान. उच्च न्यायालय द्वारा छ.ग. लोक सेवा आयोग को 06 पद (अनारक्षित-04, अजा-02) रिक्त रखने का निर्देश प्राप्त हुआ। फलस्वरूप 14 में से 06 पद रिक्त रखते हुए 08 पदों पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के महायोग के आधार पर वर्गवार चयन सूची दिनांक 09.10.2012 को जारी की गई थी।
- 3/ वर्तमान में लंबित 06 पदों में से 03 पदों हेतु मान. उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है, अतः 03 (अनारक्षित 01 एवं अजा 02) पद रिक्त रखते हुए संशोधित चयन सूची जारी की जा सकती है। जिसमें पूर्व में 08 एवं नवीन निर्णित-03 पद, कुल-11 पदों हेतु संशोधित चयन सूची जारी किया जाना है, जो निम्नानुसार है-


संशोधित चयन सूची

SN	ROLLNO	NAME	DOMI	CAT	SEX	DOB	REMARK
1.	108504	RAJ KUMAR PATEL	Y	OBC	M	28/06/71	UR
2.	108724	SHAIENDRA B SHARMA	N	UR	M	04/09/82	UR
3.	108696	RAMBOOSHAN TIWARI	N	UR	M	21/09/83	UR
4.	102572	PRAKASH KUMAR SAHU	Y	UR	M	24/01/78	UR
5.	102644	NAVNEET DWIVEDI	Y	UR	M	10/04/72	UR
6.	102570	OM PRAKASH PATEL	Y	OBC	M	30/12/79	OBC
7.	108502	BHAWANA MAHULE	Y	OBC	F	11/06/70	UR_F
8.	108578	AHILYA MISHRA	Y	UR	F	30/06/78	UR_F
9.	102658	RAMESHWAR PRASAD THAKUR	Y	ST	M	21/10/79	ST
10.	108495	GOPISHWAR SAI	Y	ST	M	22/03/76	ST
11.	108612	ABHA TOPPO	Y	ST	F	27/09/72	ST_F

(छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित)

महत्वपूर्ण टीप:-

1. अभ्यर्थियों जिन्हें आयोग द्वारा विभिन्न कारणों से अनर्ह घोषित कर दिया गया था के द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत 01 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 02 पद, कुल 03 पद रिक्त रखे गए हैं, उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेशानुसार कार्यवाही पश्चात् चयन सूची व मेरिट क्रम में आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. न्यायालयीन वाद लंबित रहने के कारण प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई है।
3. उक्त सूची में टंकण/अंकण/प्रविष्टि संबंधी त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रखी सूची की मूल प्रति ही मान्य होगी।


परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
रायपुर (छ.ग.)